राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांकः निसंशि/भर्ती अनुभाग/अध्यापक/2017–18/ 1175 दिनांकः 17/01/2019

## आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–1/2017–18 दिनांक 28.08.2017 के तहत अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1–5) संस्कृत/सामान्य (नॉन टीएसपी/टीएसपी) ग्रेड III सीधी भर्ती 2017 हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर आरटेट/रीट के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अध्यापक (सामान्य) नॉन टीएसपी पद हेतु वरीयता निर्मित कर प्रोविजनल सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त पात्र पाये जाने पर वरीयतानुसार चयन किए जाने के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जाकर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

1 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1) वित्त(नियम)/2013 दिनांक 30.10.2017 एवं क्रमांक एफ.15(1) वित्त(नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसरण में अभ्यर्थी को दो वर्ष का परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् लेवल–10 में रूपये 33800/–न्यूनतम वेतन एवं उसके साथ नियमानुसार भत्ते देय होगे।

2 राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 16 के अनुसूची (iv) के अनुसार परीवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/– प्रतिमाह देय होगा।

3 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं.13(1)वित्त/नियम/03दिनांक 02.08.2005 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा(अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

4 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 6(4) वित्त(नियम)/99 दिनांक 14.01.2004 द्वारा संशोधित चिकित्सा सेवा नियम लागू होंगे।

5 राज्य सरकार के आदेशांक एफ 11(1) वित्त(ग्रुप–2)/93 दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी संशोधित भवन ऋण नियम लागू होंगे।

6 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं.7(1) कार्मिक/क–2/95 दिनांक 08.04.2003 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

7 प्रथम पदस्थापन स्थान से तीन वर्ष तक अन्यत्र स्थानान्तरण पर प्रतिबंध रहेगा।

| S. No. | REET/ RTET% | Application No | Candidate Name | Father Name | DOB | Gender | Category | Selection Category | Home District | School | PS | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 201700933912 | PARMILA KANWAR | SOUBHAGY SINGH | 24-08-1996 | Female | GENERAL | GENERAL | JODHPUR | रा.उ.प्रा.सं.वि. मालियों की ढाणी सदावता (कुण्डल) | फलोदी | जोधपुर |

नोटः– 1. अभ्यर्थी सर्वप्रथम संकुल केन्द्र पर उपस्थित होकर कार्यारम्भ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित संकुल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से पद के अनुरूप पात्रता, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक योग्यता, वर्ग (श्रेणी) आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से जाँच कर पूर्ण संतुष्टि के बाद स्वसत्यापित छाया प्रतियां, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल), सन्तान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज संबंधी, धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र एवं नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अभ्यर्थी को तत्काल पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण हेतु भिजवायेंगे।

2. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व नवीनतम नॉन–क्रिमीलेयर पिछडी जाति का पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3 अभ्यर्थी से पुलिस चरित्र सत्यापन प्राप्त कर कार्यारम्भ करवाये। पुलिस चरित्र सत्यापन के अभाव में 6 माह की अवधि में पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने एवं कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यारम्भ करवायें।

4. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी किसी विभाग में कार्यरत हैं तो उस विभाग से नियुक्ति अधिकारी (नियोक्ता) का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश/त्यागपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे। संबंधित संकुल प्रभारी पूर्व में सेवारत अभ्यर्थियों सें उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यारम्भ करावें। नव नियुक्त अध्यापकों मे से जो पहले से राज्य सेवा में नियमित कार्मिक के रूप में सेवारत है,उन्हें पूर्व पद पर कार्यरत रहते हुये प्राप्त वेतनमान (एलपीसी के आधार पर) अथवा फिक्स न्यूनतम पारिश्रमिक रूपये 23700/– दोनो मे जिसे लेने का विकल्प कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किया जावे,तद्नुसार आहरित करावे।

5. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्य निष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।

6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के संबंध में समय–समय पर जारी समस्त आदेश इस नियुक्ति पर लागू होंगे।

7. नियुक्त कार्मिकों को दिनांक 01 फरवरी, 2019 तक कार्यग्रहण करना होगा तत्पश्चात् नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांकः निसंशि/भर्ती अनुभाग/अध्यापक/2017–18/ 1175 दिनांकः 17/01/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. श्रीमान् विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला ................... ।
5. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
6. संबंधित संकुल प्रभारी (रावरिउपासंवि/राप्रवेसंवि) को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
7. सं[illegible] संस्थाप्रधान।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संस्थापन अनुभाग निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान को व्यक्तिगत पंजिका हेतु।
10. संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर